UPAU010059212019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

पीठासीन अधिकारी–**पारूल जैन** (एच०जे०एस०)

(J.O CODE UP 2391)

विशेष वाद संख्या–2191/2019

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन

बनाम

अमर सिंह पुत्र रामभरोसे निवासी मंसुखपुर थाना अयाना जनपद औरैया।

.....अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–303/2017
धारा–138 **बी भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना–**अयाना**, जिला–औरैया

दिनांकः–18.03.2026

1. अभियुक्त **अमर सिंह** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा –138 **बी भारतीय विद्युत अधिनियम** के तहत पुलिस थाना–**अयाना** जिला–औरैया द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रसंज्ञान लिया गया।

2. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। विद्युत के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली निस्तारित किये जाने हेतु प्रार्थना की गयी है। अतः मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर इस पत्रावली का निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

3. पत्रावली का परिशीलन किया गया। अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। विद्युत विभाग की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

4. विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट आख्या प्रस्तुत की गयी है कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण बिजली बकाया धनराशि जमा कर दी गयी है। अतः उपरोक्त अभियुक्त पर बिजली विभाग का कोई बकाया शेष नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा इस प्रकरण में अपराध का प्रशमन कर दिया गया है।

5. विद्युत विभाग की आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें **कागज संख्या 40 ख** में यह अभिलेखित है कि उक्त अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क धनराशि रू0 10000.00 ऑनलाइन रसीद सं० 628878865835 दिनांक 15.12.2025, बकाया धनराशि रू0 28440.00 ऑनलाइन रसीद सं० 832421588861 दिनांक 12.12.2025, डी०आर० फीस रू0 600.00 ऑनलाइन रसीद सं० 628450440288 दिनांक 15.12.2025 एवं नोटिस व्यय रू0 100.00 ऑनलाइन रसीद सं० 628610602820 दिनांक 15.12.2025 को इस कार्यालय में जमा कर दिया है। अभियुक्त

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.18 16:25:40 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1, Auraiya

पर उपरोक्त मामले में कोई अदायगी शेष नहीं है सम्पूर्ण अदायगी के आधार पर उक्त मामला कम्पाउड कर दिया गया है।

6. **विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 152** में यह प्रावधान दिया गया है कि

अपराधों का समाधान–(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समुचित सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी उपभोक्ता या व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय विद्युत की चोरी का अपराध किया है या जिसके द्वारा किये जाने का समुचित रूप से संदेह है अपराध के प्रशमन के रूप में नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट धनराशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर उस अपराध के सम्बन्ध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जाएगी औऱ जारी नहीं रखी जाएगी।

7. पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर विद्युत चोरी का आरोप लगाया गया है। विद्युत विभाग एवं विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट आख्या न्यायालय के समक्ष दी गयी है कि अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण बिजली बकाया बिल का भुगतान पूर्व में किया जा चुका है। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा सम्पूर्ण बिजली बकाया बिल का भुगतान कर दिया गया है तथा बिजली विभाग की आख्या के अनुसार अभियुक्त के ऊपर बिजली विभाग का कोई बकाया शेष नहीं रह गया है। विद्युत विभाग द्वारा इस प्रकरण में अपराध का प्रशमन कर दिया गया है। अतः अभियुक्त को प्रशमन का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही सम्बन्धित मुकदमे में संस्थित नहीं की जाएगी औऱ जारी नहीं रखी जाएगी तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।

<u>आदेश</u>

राज्य बनाम अमर सिंह विशेष वाद सं०–**2191/2019,** मु०अ०सं०–**303/2017**, थाना–**अयाना**, जनपद–औरैया अभियुक्त **अमर सिंह** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–**138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम** में बिजली विभाग का कोई बकाया शेष नहीं होने पर प्रशमन का लाभ देते हुये निर्मुक्त करा जाता है। उपरोक्त अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।

दिनांक–18.03.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आज यह निर्णय व आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–18.03.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।